

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक : डीसी/डी-2/DMR(OA)/2015/

दिनांक :

—: आदेश :-

औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 [Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954] के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संयुक्त टीम निम्न प्रकार गठित की जाती हैं:-

(अ) मुख्यालय जयपुर पर निम्न संयुक्त टीम का गठन किया जाता है:-

1. श्री अजीत जैन, सहायक औषधि नियंत्रक,
2. श्रीमति सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी,
3. सुश्री सीमा तानन, औषधि नियंत्रण अधिकारी,
4. जिला आयुर्वेद अधिकारी,
5. पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी।

(ब) जिला मुख्यालय पर जहाँ पर सहायक औषधि नियंत्रक नियुक्त हैं, निम्न संयुक्त टीम का गठन किया जाता है:-

1. सहायक औषधि नियंत्रक,
2. औषधि नियंत्रण अधिकारी,
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी,
4. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी।

(स) जिला मुख्यालय पर जहाँ पर सहायक औषधि नियंत्रक नियुक्त नहीं हैं, निम्न संयुक्त टीम का गठन किया जाता है:-

1. औषधि नियंत्रण अधिकारी,
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी.
3. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी।

मुख्यालय पर गठित संयुक्त टीम प्रतिबंधित तथा मन-गढ़ंत व भ्रामक विज्ञापनों की जाँच करेगी। सभी टीमों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में सामंजस्य व तालमेल कर प्रभावी कार्यवाही संपन्न करेंगी। सभी संयुक्त टीमों प्रति माह समीक्षा हेतु अपनी रिपोर्ट निम्नहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत करेगी।

यह आदेश राज्य सरकार से सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात जारी किये जा रहे हैं।

(के. जयवन्त)  
औषधि नियंत्रक  
राज0 जयपुर

क्रमांक : डीसी/डी-2/DMR(OA)/2015/ 411

दिनांक : 13/07/2015

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2)विभाग, जयपुर।
6. औषधि नियंत्रक-प्रथम, राज0 जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर को भेजकर निवेदन हैं कि संयुक्त टीम हेतु एक पुलिस अधिकारी को नामित करने का कष्ट करावें।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर निवेदन हैं कि संयुक्त टीम हेतु एक पुलिस अधिकारी को नामित करने का कष्ट करावें।
9. समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को भेजकर लेख हैं कि संयुक्त टीम द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. सहायक औषधि नियंत्रक के मुख्यालय के अलावा समस्त औषधि नियंत्रण, अधिकारियों को भेजकर लेख हैं कि संयुक्त टीम द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी अधिकारी, सेन्द्रल सर्वर रुम, निदेशालय को भेजकर लेख हैं कि समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को तथा समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को ई-मेल द्वारा सूचित करावें व विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।

(के. जयवन्त)  
औषधि नियंत्रक  
राज0 जयपुर